617

संख्या: 045(1)/[illegible]/2001

Index

842

~~ADM(E)/04/DZ~~

19/3

...अधिकारी कार्यालय
19 MAR 2001
देहरादून

प्रेषक,

[illegible],
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवामें,

जिलाधिकारी,
देहरादून।

भूमि संसाधन शाखा
(राजस्व विभाग)

देहरादून: दिनांक- 16 मार्च, 2001

विषय- देहरादून में इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट फॉर दी ट्राइकस ऑफ इण्डिया की स्थापना हेतु जनपद देहरादून तहसील विकासनगर के ग्राम [illegible] में [illegible] एकड़ भूमि पट्टे पर दिया जाना।

11-2002
XII-A
25
617

महोदय,

उपर्युक्त विषयक [illegible] 3327/[illegible](एस)/99-2002 दिनांक 2.3.2001 के [illegible] का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय [illegible] इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी इन्स्टीट्यूट फॉर दी ट्राइकस ऑफ इण्डिया की स्थापना हेतु विकासनगर तहसील के ग्राम [illegible] की खसरा संख्या 573 रकबा 1.414 हेक्टेयर, [illegible] 587 रकबा 0.308 हेक्टेयर, 595 रकबा 2.[illegible] 4.278 हेक्टेयर (10.56 एकड़) जो कि [illegible] अभिलेखों में राज्य सरकार के नाम अंकित है, [illegible] के शासनादेश संख्या [illegible]/16(1)/72-राजस्व-1 [illegible] 12.9.97 में [illegible] का 2 [illegible] 1,140/- [illegible]

1. ग्रा[illegible] भूमि का उपयोग [illegible]
किया जायेगा [illegible]

2. ग्रामीण भूमि किसी [illegible]
बेचने/[illegible] [illegible]
अधिकार पट्टेदार को नहीं होगा ।

3. भूमि का उपयोग आवंटन की [illegible]
अवधि में पूर्ण कर लेना अनिवार्य होगा अन्यथा आवंटन [illegible]
निरस्त समझा जायेगा ।

4. ग्रामीण भूमि पट्टेदार को शासन [illegible]
-हरीय सरकारी [illegible] के [illegible] से [illegible]
1/85§24§-रा-6 दिनांक 9 अक्टूबर 1987 [illegible]
के अन्तर्गत [illegible] रूल 1985 के [illegible]
30 वर्षों के लिये होगा तथा पट्टेदार के [illegible]
के लिये इसे नवीनीकरण कराने का विकल्प [illegible]
को नवीनीकरण के लगान बढाने का अधिकार [illegible]
के डेढ़ गुना से कम न होगा ।

5. संस्था अपनी क्रियाकलाप [illegible] फिट [illegible]
पर संचालित करेंगी ।

6. राज्य सरकार के नामित अधिकारी [illegible]
लेखों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा ।

7. [illegible]
[illegible] §STRUCTURE§ [illegible]
[illegible] । [illegible]
[illegible]
§STRUCTURE§ [illegible]

[illegible]